




राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/909 (ii)/288

दिनांक :-09/12/2022

-: कार्यालय आदेश :-

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 248 दिनांक 22.11.2022 के बिन्दु संख्या 248.131 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना पटेल नगर सेक्टर-06 एवं पटेल नगर विस्तार पार्ट-2, भीलवाड़ा की संशोधित विकसित भूमि दर वर्ष 2022-23 की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी कार्यालय आदेश एफ2(3)लागत/909 (ii)/260 दिनांक 11.10.2022 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।


उप वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/909 (ii)/288

दिनांक :-09/12/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/ वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता,, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 6- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.म.,
- 7- लेखाधिकारी वृत्त-, रा.आ.म.,
- 8- सम्बन्धित पत्रावली।
- 9- रक्षित पत्रावली।


उप वित्तीय सलाहकार




राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/665/289

दिनांक :- 09/12/2022

-: कार्यालय आदेश :-

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 248 दिनांक 22.11.2022 के बिन्दु संख्या 248.80 में लिये गये निर्णयानुसार आवास संख्या 83/223, प्रताप नगर आवासीय योजना, सांगानेर, जयपुर के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित आदेशानुसार लागत निर्धारण की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी लागत स्वीकृति क्रमांक एफ2(3)लागत/665/158 दिनांक 11.04.2022 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।



उप वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/665/289

दिनांक : 09/12/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता,, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 6- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.म.,
- 7- लेखाधिकारी वृत्त-, रा.आ.म.,
- 8- सम्बन्धित पत्रावली।
- 9- रक्षित पत्रावली।


उप वित्तीय सलाहकार




राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iv)/ 290

दिनांक :- 09/12/2022

-: कार्यालय आदेश :-

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 248 दिनांक 22.11.2022 के बिन्दु संख्या 248.108 में लिये गये निर्णयानुसार आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2022-23 की अवधि दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023 की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी कार्यालय आदेश एफ2(3)लागत/1037 (iv)/209 दिनांक 11.07.2022 एवं संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037 (iv)/238 दिनांक 29.08.2022 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।



उपवित्तीय सलाहकार

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iv)/ 290

दिनांक :- 09/12/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता,, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को भजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 6- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.म.,
- 7- लेखाधिकारी वृत्त-, रा.आ.म.,
- 8- सम्बन्धित पत्रावली।
- 9- रक्षित पत्रावली।


उप वित्तीय सलाहकार




राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1408/291

दिनांक : -09/12/2022

-: कार्यालय आदेश :-

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 248 दिनांक 22.11.2022 के बिन्दु संख्या 248.63 में लिये गये निर्णयानुसार सेक्टर-16, प्रताप नगर आवासीय योजना सांगानेर, जयपुर में "कोचिंग हब" परियोजना के अग्रभाग में निर्मित दुकानों की आरक्षित दर स्वीकृति की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी आरक्षित दर स्वीकृति क्रमांक एफ2(3)लागत/1408/178 दिनांक 12.05.2022 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।



उप वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1408/291

दिनांक :-03/12/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता,, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 6- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.म.,
- 7- लेखाधिकारी वृत्त-, रा.आ.म.,
- 8- सम्बन्धित पत्रावली।
- 9- रक्षित पत्रावली।


उप वित्तीय सलाहकार



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iii)/292

दिनांक : 09/12/2022

-: कार्यालय आदेश :-

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 248 दिनांक 22.11.2022 के बिन्दु संख्या 248.45 में लिये गये निर्णयानुसार आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2021-22 की शेष अवधि दिनांक 01.10.2021 से 30.06.2022 की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी कार्यालय आदेश एफ2(3)लागत/1037 (iii)/90 दिनांक 08.11.2021 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

— 50/—
उप वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iii)/ 292

दिनांक : 09/12/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता,, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 6- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.म.,
- 7- लेखाधिकारी वृत्त-, रा.आ.म.,
- 8- सम्बन्धित पत्रावली।
- 9- रक्षित पत्रावली।

— 50/—
उप वित्तीय सलाहकार